(1)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
प्रथम तल,विन्ध्याचल भवन,भोपाल–46200

//अधिसूचना //

भोपाल,दिनाक 15/03/2020

फा0क्रमांक–1749/21–ब(दो), राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला हरदा के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4(1) के अंतर्गत श्री विभव त्रिपाठी (नामांकन क्र. एम.पी.2393/2010) को विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है। श्री विभव त्रिपाठी की उक्त विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 04.07.1980 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमे से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

श्री विभव त्रिपाठी,अधिवक्ता,हरदा को ऐसे विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप मे कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)एट्रोसिटी/21–ब(दो), दिनांक 24/09/2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29–मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातिया तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण (01) अनुसूचित जातियो का कल्याण (800)–अन्य व्यय–0703–केन्द प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना (सबस्कीम) योजना (5171)–विशेष न्यायालयों की स्थापना–31–व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद–003–अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा। जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा ।

श्री विभव त्रिपाठी,अधिवक्ता,हरदा को विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय मे केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु, कार्य जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आबंटित किया जायेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(गोपाल श्रीवास्तव)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

भोपाल, दिनाक 15 /03/2020 16

पृ0क्रमांक 1749/21–ब(दो),2020

प्रतिलिपि:–

(1) रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, (म.प्र.)
(2) आयुक्त,नर्मदापुर संभाग नर्मदापुरम, (म.प्र.)
(3) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म.प्र.)
(4) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदा (म.प्र.)
(5) प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
(6) प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल, (म.प्र.)
(7) संचालक, लोक अभियोजन, संचालनालय, भदभदा रोड़, भोपाल, (म.प्र.)
(8) माननीय विधि मंत्री जी के निज सचिव, भोपाल,
(9) बजट शाखा, विधि विभाग, भोपाल, (म.प्र.)
(10) श्री विभव त्रिपाठी पिता स्व.श्री दयाशंकर त्रिपाठी,निवासी–सुभाष वार्ड हरदौल बाबा के पास, हरदा (म.प्र.)
(11) उप नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ,
(12) आई0टी0, शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु एवं विभागीय वेबसाइट पर दर्ज सूची मे अद्यतन करने हेतु,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

15.3.20
(संतोष प्रसाद शुक्ला)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभा

High Court of Madhya Pradesh
JABALPUR
27 MAY 2020
Reg No. 379
Receipt Clerk
High Court Jabalpur

Pension RKShukla 27-5-2020

(2)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
प्रथम तल,विन्ध्याचल भवन,भोपाल--46200

//अधिसूचना //

भोपाल,दिनाक 15/03/2020

फा0कमांक--1751/21--ब(दो), राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला नीमच के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4(1) के अंतर्गत श्री यशवंत चतुर्वेदी (नामांकन क्र. एम.पी.3002/2004) को विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है। श्री यशवंत चतुर्वेदी की उक्त विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 25.07.1979 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमे से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

श्री यशवंत चतुर्वेदी,अधिवक्ता,नीमच को ऐसे विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप मे कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश कमांक 1(सी)एट्रोसिटी/21--ब(दो), दिनांक 24/09/2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29--मुख्य शीर्ष--2225--अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातिया तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण (01) अनुसूचित जातियो का कल्याण (800)--अन्य व्यय--0703--केन्द प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना (सबस्कीम) योजना (5171)--विशेष न्यायालयों की स्थापना--31--व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद--003--अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा। जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा ।

श्री यशवंत चतुर्वेदी,अधिवक्ता,नीमच को विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय मे केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु, कार्य जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आबंटित किया जायेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(गोपाल श्रीवास्तव)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

पृ0कमांक 1751/21--ब(दो),2020 भोपाल, दिनाक 15 16/03/2020

प्रतिलिपिः--

(1) रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, (म.प्र.)
(2) आयुक्त,उज्जैन संभाग उज्जैन, (म.प्र.)
(3) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच(म.प्र.)
(4) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नीमच (म.प्र.)
(5) प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
(6) प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल, (म.प्र.)
(7) संचालक, लोक अभियोजन, संचालनालय, भदभदा रोड़, भोपाल, (म.प्र.)
(8) माननीय विधि मंत्री जी के निज सचिव, भोपाल,
(9) बजट शाखा, विधि विभाग, भोपाल, (म.प्र.)
(10) श्री यशवंत चतुर्वेदी पिता श्री श्याम चतुर्वेदी,निवासी--एल.आई.जी.--41,इंदिरा नगर,जिला नीमच (म.प्र.)
(11) उप नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ,
(12) आई0टी0, शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु एवं विभागीय वेबसाइट पर दर्ज सूची मे अद्यतन करने हेतु,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

15.3.20

(संतोष प्रसाद शुक्ला)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभा

High Court of Madhya Pradesh
JABALPUR
27 MAY 2020
Reg No. 382
Receipt Clerk
High Court Jabalpur

Pension
RKSL
27-5-2020